न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपीडी/टिए/5281/2003/बीकानेर

मुनिश्वर पुत्र स्व0 श्री नानुराम, जाति सुथार, निवासी हाल सेक्टर–2, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वन संरक्षक, इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना, स्टेज द्वितीय, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, स्टेज द्वितीय, खण्ड–1, बीकानेर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, आर0डी0 682, बीकानेर।

.....रैस्पो0

खण्ड – पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक नाथ, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजेन्द्र चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः – 06.02.2019

हस्तगत अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में "अधिनियम, 1955") के अंतर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–6–2003 अन्तर्गत अपील संख्या 77/2003 शीर्षक मुनीश्वर बनामवन संरक्षक, के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना, छतरगढ के समक्ष प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरुद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी चक 2 एम0एम0 के मु0 नम्बर 75/17 में वादी के नाम विशेष आवंटन दिनांक 6–4–1993 के तहत 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था और आवंटन के बाद कब्जा सुपुर्द किया गया था, तभी से वादी का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जे में पेड आदि लगा कर कब्जा करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। अतः दावा वादी डिक्री कर प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये। जबावदावा वन विभाग की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग को राज्य के आदेश अनुसार आवंटित हुई है और आवंटन दिनांक 22–1–1992 से आदिनांक तक रैस्पो0 वन विभाग का कब्जा काश्त है, अतः दावा खारिज किया जाये। परीक्षण न्यायालय सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना, प्रथम, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 25–02–2003 से दावा वादी खारिज किया, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने

पर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, इन्द्रा गॉधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 19–6–2003 से अपील खारिज की गई है। इस निर्णय विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील मूल वाद के वादी पक्ष द्वारा की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी/वादीगण ने बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की आवंटन शुदा भूमि है और आवंटन के उपरान्त अपीलार्थी द्वारा मेहनत व श्रम से उक्त आराजी को काबिज काश्त योग्य बनाया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित समस्त किश्तें आदि उप निवेशन विभाग को जमा करा दी गई हैं और अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 29–4–1993 को विधिवत रुप से इंतकाल दर्ज किया गया है। जो भूमि अपीलार्थी को आवंटन की गई वह राज्य सरकार के राजपत्र दिनांक 5–1–1991 में विशेष आवंटन हेतु साया भूमि थी, अतः इस भूमि को वन विभाग को देने का कोई कारण नहीं रहा है। अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है और अपीलार्थी का कब्जा भी रेकार्ड से साबित है। इसकी पुष्टि आवंटन आदेश, कब्जा सुपुर्दगीनामा, नामांतरकरण एवं मौखिक साक्ष्य आदि से बखूबी होती है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि वन विभाग के पक्ष में किसी प्रकार का अभिलेख आवंटन के पुष्टि बाबत् नहीं रहा है, अतः यह जॉच का विषय रहा है कि वास्तव में प्रश्नगत भूमि वन विभाग को आवंटित भूमि रही है या नहीं। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में परीक्षण करते समय बिन्दुवार विवेचन नहीं किया है जब कि प्रत्येक तनकी को विवेचित करते हुये निर्णय किया जाना चाहिए था। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जावें और अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिक रुप से वादी के वाद को अस्वीकार किया है, और प्रथम अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस निर्णय की पुष्टि करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है। 2011 आर.बी0जे0 पेज 364 (एच0सी0) एवं 1999 आर.बी0जे0 पेज 541 (एस0सी0) के अनुसार समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग को शासन उप सचिव, वन विभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 18–5–1991 एवं आयुक्त, उप निवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 22–1–1992 से आवंटित की गई है। अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन दिनांक 6–4–1993 का है जो वन विभाग के आवंटन से बाद का है। अतः पूर्व में वन विभाग को आवंटन होने से, अपीलार्थी को आवंटन किया जाना सम्भव नहीं था। वन विभाग की भूमि पर धारा 16, अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रकार की खातेदारी अन्य के पक्ष में प्रदान नहीं की जा सकती है, न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 2012 पेज 101 में भी इसी प्रकार

का मत प्रतिपादित किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है जब कि आर0बी0जे0 2001 पेज 465, आर0बी0जे0 2003 पेज 176 के मतानुसार वादी को अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं साबित करना होता है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने रिपोर्टेड प्रकरण संख्या 3800/2015 शीर्षक हनुमान बनाम मुख्यसचिव में पारित निर्णय दिनांक 23–1–2019 में यहॉ तक मत प्रतिपादित किया है कि न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं होने के बाबजूद राज्य सरकार के हित में अनुतोष प्रदान किया जा सकता है और उक्त प्रकरण में माननीय खण्ड पीठ ने राजकीय गै0मु0 तलाई पर से अतिचारी को बेदखल करने के आदेश भी प्रदान किये हैं। अन्त में योग्य राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों में ना तो किसी प्रकार की तथ्य सम्बन्धी भूल रही है और ना ही किस प्रकार से कानून सम्बन्धी त्रुटि रही है, अतः समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन–अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत चक 2 एम0एम0 के मु0 नम्बर 75/17 के सम्बन्ध में वाद इस आशय के साथ प्रस्तुत किया था कि प्रश्नगत भूमि वादी के नाम विशेष आवंटन दिनांक 6–4–1993 के तहत 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। वादी पक्ष की ओर से राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है उससे यह तथ्य तो स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का विशेष आवंटन किया गया है और उसके पक्ष में नामांतरकरण संख्या 27 दिनांक 29–4–1993 इस आधार पर स्वीकृत किया गया है किन्तु यही भूमि शासन उप सचिव, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 43(5)राज/उप/87 दिनांक 18–5–1991 व आयुक्त, उप निवेशन, बीकानेर के आदेश क्रमांक 581 दिनांक 22–1–1992 से वन विभाग को आवंटित की गई है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन से पूर्व ही भूमि वन विभाग को आवंटन की जा चुकी थी। उप निवेशन तहसीलदार द्वारा अति0 आयुक्त उपनिवेन को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें भी अंकित किया गया है कि "मौके पर वन विभाग द्वारा तारबन्दी की हुई है।" स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि रही है और अधिनियम, 1955 की धारा 16 (x) के प्रावधानों के अनुसार वन विभाग की भूमि पर किसी प्रकार की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अभिमत दिया है कि "वस्तुतः वन विभाग को भूमि वर्ष 1992 में ही आवंटन हो चुकी है का रिकार्ड में अंकन नहीं होने से भूमि का आवंटन अपीलाण्ट को हुआ है", हम इस अभिमत से पूर्ण सहमति रखते हैं। जहॉ तक अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि की कीमत जमा कराने का सम्बन्ध है तो जैसा कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की आवंटन शुदा भूमि है जो धारा 16 की परिधि में आती है और इस पर अपीलार्थी को किसी प्रकार से स्वत्व हासिल नहीं है, अतः उसके द्वारा प्रश्नगत भूमि की किश्तें आदि जो जमा कराई गई हैं, उन्हें वह सक्षम कार्यवाही के तहत वापिस प्राप्त करने का

अधिकारी रहता है और इस कार्यवाही के लिए उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत रुप से तनकियात कायम करते हुये, तनकीवार निष्कर्ष पारित किया है और वन विभाग की भूमि पर वादी को किसी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के समस्त तथ्यों व रिकार्ड को देखते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित हैं जिनमें हम किसी प्रकार की तथ्यों सम्बन्धी या कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करना नहीं पाते हैं और न्याय दृष्टान्त 2011 आर.बी0जे0 पेज 364 (एच0सी0) एवं 1999 आर.बी0जे0 पेज 541 (एस0सी0) के अनुसरण में समवर्ती निर्णयों में हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष